रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 288
No. 289]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938	[N.C.T.D. No. 288

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

फा. संख्या 11/35/2010/गृ.पु.–II/9544-57.—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के साथ समन्वय में पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है कि क्षतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ निधि प्रदान करने के लिये निम्नलिखित स्कीम को अनुमोदित करते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1**) इस स्कीम को दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2015 कहा जाए।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(3) यह पीड़ित या उसके आश्रितों जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है, जैसी भी स्थिति हो, और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है, के लिये लागू होगी।

2. **परिभाषाएं.—(1**) इस स्कीम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) ''संहिता'' का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) से है;

(ख) ''आश्रित'' में, संबंधित क्षेत्र/थाना प्रभारी/जांच अधिकारी के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर या शपथ–पत्र के माध्यम से आाश्रित द्वारा या उसकी अपनी जांच द्वारा रिकोर्ड पर रखी गयी सामग्री के आधार पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, दादा–दादी, अविवाहित पुत्री, एवं अव्यस्क बच्चा शामिल है;

(ग) ''जिला विधिक सेवा अधिकरण'' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिला के लिए विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन गठित जिला विधिक सेवा अधिकरण (डीएलएसए) से है;

(घ) ''फार्म'' का अर्थ इस स्कीम के साथ संलग्न फार्म से है।

(ड.) ''निधि'' का अर्थ इस स्कीम के खंड तीन के अधीन गठित पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि से है।

(च) ''सरकार'' का अर्थ ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप–राज्यपाल'' से है।

(छ) ''अपराध'' का अर्थ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1860 (1860 का 45) तत्तसमय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में उल्लेखित किसी अपराध से है।

(ज) ''अनुसूची'' का अर्थ इस स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(झ) ''राज्य विधिक सेवा अधिकरण'' का अर्थ विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) में यथा परिभाषित राज्य विधिक सेवा अधिकरण (डीएसएलएसए) से है;

(त्र) ''पीड़ित'' का अर्थ किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या चोट से पीड़ित व्यक्ति से है तथा उसकी मृत्यु के मामले में ''पीड़ित के'' का अर्थ उसके माता–पिता या कानूनी वारिस से होगा ।

(2) स्कीम में प्रयोग किये गये शब्दों ओर अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं किये गये हैं का वही अर्थ होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 में दिया गया है।

3. **पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि.**—(1) सरकार पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि नामक एक निधि बनाएगी जिसमें से दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा निश्चित की गई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पीड़ित या उसके आश्रितों को किया जाएगा जिन्हें किसी अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिनको पुनर्वास की आवश्यकता है।

(2) पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में निम्नलिखित घटक होंगेः–

(क) डीएसएलएसए को सहायता अनुदान के रूप में आवंटित बजट राशि जिसका प्रावधान सरकार ने वार्षिक बजट से किया था।

(ख) पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि न्यायालय द्वारा लगाया गए अर्थदंड से प्राप्ति की राशि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन तथा न्यायालय ने जिसे पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि में जमा करने का आदेश दिया है।

(ग) स्कीम की धारा 14–15 के अधीन अपराधकर्ता/आरोपी से वसूल की गई क्षतिपूर्ति की राशि।

(घ) फार्म ''11'' के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा लौटाई गई, यदि कोई है, क्षतिपूर्ति की राशि।

(ङ) अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/जन कल्याणकारी/धर्मार्थ संस्थान/संगठन तथा व्यक्तियों से प्राप्त दान/अंशदान राशि।

(3) उक्त निधि का संचालन दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण द्वारा किया जाएगा।

4. **क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता.**—पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित, जैसी भी स्थिति हो, यदि इस मानदंड के अन्तर्गत आता है कि उसे केन्द्र सरकार या सरकार की किसी अन्य स्कीम में हानि या चोट के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान तो वह क्षतिपूर्ति का पात्र होगाः

प्रावधान है कि इस कार्य के लिए पीड़ित या उसके आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा एक शपथ पत्र लगाया जाना पर्याप्त होगा अगर राज्य या जिला विधि सेवा अधिकरण ने अन्यथा कोई निर्देश न दिया हो और कारण भी अभिलेखबद्ध किए गए हों।

5. **राज्य व जिला विधि सेवा अधिकरण को आवेदन करने की प्रक्रिया.**—पीडित या उसका आश्रित या स्थानीय एसएचओ अंतरिम/अन्तिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आवेदन दे सकता है और इसे (एफआईआर), चिकित्सा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध, निर्णय/न्यायालय की सिफारिश, यदि मुकदमा समाप्त हो चुका है, के साथ राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण को प्रदान करेगा।

6. **आवेदन जमा करने का स्थान.**—क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन/सिफारिश दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या संबंधित जिला विधिक सेवा अधिकरण को जा सकती है। संबंधित डीएसएलएसए का सचिव यह निर्णय लेगा कि आवेदन/सिफारिश स्कीम के अनुसार ही उसके समक्ष रखी गई है। डीएलएसए इसके निपटान के लिए इस पर कार्यवाही करते हुए उसे अपने पास रख सकता है, जांच करवा सकता है और स्वयं मामले पर निर्णय ले सकता है या किसी जिला विधिक सेवा अधिकरण के समक्ष किसी आवेदन/सिफारिश करने के लिए कह सकता है।

7. **राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत.**—डीएसएलएसए पीड़ित व्यक्ति या उनको आश्रितों को संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकती है।

8. **क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय विचारणीय तथ्य.**—किसी मामले निर्णय देते समय डीएसएलएसए/डीएलएसए पीड़ित व्यक्ति की हानि या चोट संबंधी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेगीः–

(1) पीड़ित व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक हानि या चोट की गंभीरता तथा अपराध की गंभीरता;

(2) पीड़ित व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की चिकित्सा में किए गए या संभावित खर्च, अंतिम संस्कार, पूछताछ/जाँच/मुकदमे (खुराक के खर्च को छोड़कर) पर किया गया या होने वाला खर्च;

(3) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसमें मानसिक आघात, शारीरिक चोट, ईलाज, जाँच तथा अपराघ के मुकदमे या किसी अन्य कारण से स्कूल/कॉलेज से अनुपस्थिति सहित;

(4) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसमें मानसिक आघात, शारीरिक चोट, ईलाज, जाँच तथा अपराघ के मुकदमे या किसी अन्य कारण शामिल है;

(5) अपराधी का पीड़ित के साथ संबंध, यदि कोई है;

(6) क्या यह अपराध अकेली घटना थी या अपराध किसी अवधि के दौरान हुआ;

(7) क्या अपराध के परिणाम स्वरूप पीड़ित गर्भवती हुई है;

(8) क्या पीड़िता को अपराध के फलस्वरूप संक्रामक यौन रोग हुआ;

(9) क्या पीड़ित को अपराध के परिणाम स्वरूप एचआईवी हुआ है;

(10) अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित को अन्य अपंगता;

(11) जिस पीड़ित पर अपराध हुआ है उसकी वित्तीय स्थिति ताकि उसके पुनर्वास की आवश्यकता को सुनिश्चित किया जा सके।

(12) मृत्यु की स्थिति में मृतक की आयु उसकी मासिक आय आश्रितों की संख्या जीवन संभावना, भावी पदोन्नति/उन्नति की संभावना आदि।

(13) अन्य कोई तथ्य जिसे डीएसएलएसए/डीएलएसए न्यायोचित और पर्याप्त समझता है।

9. **क्षतिपूर्ति की अस्वीकृति के आधार** – राज्य या जिला विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए क्षतिपूर्ति को अस्वीकार कर सकता है।

10. **क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया.**—(1) जहां भी न्यायालय ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिनियम या जिला विधिक सेवा अधिनियम को संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) तथा या (3) के अधीन क्षतिपूर्ति के लिए न्यायालय ने संस्तुति की है तो वह मामले की जांच करेगा तथा अपराध के परिणामस्वरूप हानि/चोट तथा पुनर्वास संबंधी दावे के पहलुओं की जांच करेगा तथा संबंधित व्यक्तियों से दावे पर विचार के लिए अन्य प्रासंगिक आवश्यक जानकारी मांग सकता है।

प्रावधान है कि अत्यधिक परेशानी तथा गंभीरता के अपवाद मामलों में तथा तेजाब के हमले के सभी मामलों में अपराध किए जाने के पश्चात् किसी भी समय डीएसएलए का विशेष ड्यूटी अधिकारी/सदस्य सचिव या सचिव डीएलएसए स्वतः या पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर तथ्यों की प्राथमिक जांच करवाने के पश्चात् प्रत्येक मामले में परिस्थितियों में यथापेक्षित राहत प्रदान करने के लिए कार्यवाही कर सकता है (अंतरिम आर्थिक मुआवजे सहित)।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत निश्चित की गई जांच को पूर्णतया तत्परता से और किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या सिफारिश की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा और यह अवधि किसी भी मामले में 60 दिनों से अधिक न हो।

उपबंध है कि तेजाब हमले के मामलों में पीड़ित को डीएसएलएसए/डीएलएसए को मामले की सूचना दिए जाने पर पीड़ित को 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए/डीएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी प्रथम भुगतान के पश्चात् पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

आगे उपबंध है कि पीड़ित को इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकार्य अधिक राशि भी प्रदान की जा सकती है।

(3) मामले पर विचार करने के पश्चात् डीएसएलएसए/डीएलएसए, जैसी भी स्थिति हो स्वयं सहमत होने के पश्चात् या पीड़ित या उसके आश्रितों को स्कीम के खंड 8 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्णय करेगी।

(4) इस स्कीम के अधीन क्षतिपूर्ति का अवार्ड इस शर्त पर होगा कि यदि बाद में न्यायालय में निर्णय आदेश पारित करते समय आरोपी व्यक्ति को संहिता की धारा 357 के अधीन क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि देनी पड़ती है तो पीड़ित इस स्कीम के अन्तर्गत अवार्ड क्षतिपूर्ति की राशि या संहिता धारा 357 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में क्षतिपूर्ति की राशि, इनमें से जो कम हो, प्राप्त करता है तो पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति की राशि को वापस लौटाएगा। वितरण अधिकारी

इस स्कीम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने से पहले पीड़ित से इसके साथ संलग्न फार्म–2 में एक शपथ पत्र प्राप्त करेगा।

(5) ऐसे मामले जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59) अधीन आने वाले मामलों में जहां मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति अवार्ड की जाती है इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं जाएंगे।

(6) डीएसएलएसए/डीएलएसए इस स्कीम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु किसी संबंधित अधिकरण/ स्थापना/व्यक्ति/पुलिस/ न्यायालय या विशेषज्ञ से रिकार्ड मांग सकती है या सहायता ले सकती है।

(7) यदि क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करने के पश्चात् किसी स्तर पर डीएसएलएसए/डीएलएसए की जानकारी में आता है कि कोई ऐसा तथ्य जो क्षतिपूर्ति की पूछताछ के दौरान बताया गया था, असत्य था तो अधिकरण लाभ प्राप्तकर्ता का सुनवाई का एक अवसर देते हुए अवार्ड किया गया क्षतिपूर्ति के भाग या पूरी राशि की वसूली के लिए मुकदमा शुरू कर सकती है।

11. **आदेश रिकार्ड में रखे जाएंगे.—**इस स्कीम के अन्तर्गत पारित क्षतिपूर्ति के आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय के रिकार्ड में रहेगी ताकि संहिता की धारा 357 के अधीन संबंधित न्यायालय यथोचित आदेश पारित कर सके।

12. **क्षतिपूर्ति के वितरण का तरीका.—**(1) डीएसएलएसए द्वारा क्षतिपूर्ति की अवार्ड राशि का वितरण किसी राष्ट्रकृत बैंक या राष्ट्रकृत बैंक नहीं है उसकी शाखा में जमा किया जाएगा यह राशि अनुसूचित व्यवसायिक बैंक की शाखा में किसी संयुक्त या एकल नाम (पीड़ित/आश्रित) से जमा होगा। जमा की गई राशि का 75 प्रतिशत कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा में डाला जाएगा और शेष 25 प्रतिशत उपयोग और पीड़ित/आश्रित, जैसी भी स्थिति हो, को प्रारंभिक खर्च के लिए प्रदान किया जाएगा।

(2) अवयस्क के मामले में अवार्ड की गई क्षतिपूर्ति की राशि का 80प्रतिशत सावधिक जमा खाता में जमा किया जाएगा और इसके व्यवस्क आयु प्राप्त होने पर निकाला जा सकेगा। परन्तु जमा करने के तीन वर्ष से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।

प्रावधान है कि अपवाद मामलों में शिक्षा या चिकित्सा या अन्य बाध्यकारी और लाभकारी की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए डीएसएलएसए/डीएलएसए के विवेक पर राशि निकाली जा सकती है।

(3) यदि राशि सावंधिक जमा के रूप में हैं तो इसका ब्याज सीधे बैंक में पीड़ित/आश्रित के बचत खाते में मासिक रूप से सीधे जमा किया जाएगा जिसे लाभार्थी मासिक रूप से निकाल सकता है।

13. **पीड़ित को अंतरिम राहत.—**दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर या स्वतः किसी ऐसे अधिकारी जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के पद से कम न हो या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण के आधार पर पीड़ित व्यक्ति के कष्टों को कम करने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करवाने के लिए या अन्य कोई अंतरिम राहत (अंतरिम आर्थिक क्षतिपूर्ति सहित) प्रदान करने के लिए आदेश दे सकता है।

उपबंध है कि प्रदान की गई अनुदान अंतरिम राहत किसी भी मामले में 50,000 रु. से अधिक नहीं होगा। इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं है जो अत्यधिक कठिनाई या अपराध की गंभीरता के मामले हों और जहां कारणों को अभिलेखबद्ध करने के पश्चात् आदेश दिए गए हैं।

आगे यह भी उपबंध है कि तेजाब हमले के मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण की सूचना का मामला आने के 15 दिन के भीतर एक लाख रुपये की राशि दी जायेगी। अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश को मामले की सूचना दिए जाने पर 7 दिन के भीतर डीएसएलएसए/डीएलएसए पारित करेंगी तथा डीएसएलएसए/डीएलएसए आदेश पारित होने के 8 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी पीड़ित को 2 लाख रुपये की राशि यथाशीघ्र तथा अनिवार्य दो माह के भीतर प्रदान करेगी।

14. **पीड़ित/आश्रितों को दिये गये क्षतिपूर्ति अवार्ड की वसूलीः–**

संहिता की धारा 357 ए की उपधारा (3) के प्रावधानों की शर्त पर दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण उपयुक्त मामलों में किसी सक्षम न्यायालय में पीड़ित या उसके आश्रितों को हानि या चोट पहुंचने के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के लिए सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है।

15 **निर्भरता प्रमाण–पत्र.—**निर्भरता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 15 दिन की अवधि में प्रमाण–पत्र जारी करेगा और किसी भी स्थिति में अवधि बढाई नहीं जाएगी।

बशर्ते कि निर्भरता प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के किसी मामले में 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण या जिला विधिक सेवा अधिकरण दावा कर्त्ता से कार्यवाही शुरू कर सकता है।

16 **सीमाएं.—**इस स्कीम में पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के द्वारा किए गए दावे पर अपराध की घटना की तिथि से या मुकदमा समाप्त होने की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् विचार नहीं किया जाएगा।

17 **निरसन एवं बचाव.—**दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2011 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस स्कीम के अंतर्गत अपराध के दोषी या अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पीड़ित या उसके आश्रितों को किसी सिविल मुकदमें या दावे से रोका नहीं जा सकता ।

अनुसूची

क्र. सं.	हानि या चोट का विवरण	क्षतिपूर्ति की न्यूनतम सीमा	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1.	जीवन की हानि	रु. 3,00000	रु. 10,00000
2	सामुहिक बलात्कार	रु. 3,00000	रु. 7,00000
3	बलात्कार	रु. 3,00000	रु. 5,00000
4	अप्राकृतिक योनशोषण	रु. 2,00000	रु. 5,00000
5	शरीर के किसी अवयव या अंग की हानि जिसके कारण 80 प्रतिशत या अधिक स्थायी अपंगता हो गयी हो।	रु. 2,00000	रु. 5,00000
6	शरीर के किसी अवयव या अंग की हानि जिसके कारण 40 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत से कम स्थायी अपंगता हो गयी हो।	रु. 1,00000	रु. 3,00000
7	शरीर के किसी अवयव या अंग की हानि जिसके कारण 20 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत से कम स्थायी अपंगता हो गयी हो।	रु. 50,000	रु. 2,00000
8	शरीर के किसी अवयव या अंग की हानि जिसके कारण 20 प्रतिशत से कम स्थायी अपंगता हो गयी हो।	रु. 20,000	रु. 1,00000
9	मानव तस्करी/अपहरण के पीड़ित का पुनर्वास	रु. 1,00000	रु. 3,00000
10	नाबालिक का शारीरिक शोषण	रु. 2,00000	रु. 5,00000
11	गंभीर चोट में ऐसी चोट शामिल है जिसके कारण सर्जरी/महत्वपूर्ण अंग को गंभीर क्षति हुई है।	रु. 50,000	रु. 2,00000
12	भ्रुण की हानि अर्थात शोषण के परिणाम स्वरूप गर्भपात या उर्वरता की हानि।	रु. 2,00000	रु. 3,00000
13	जलने वाले पीड़ित, कुरूपता के मामले में–		
ए	50 प्रतिशत से अधिक के मामले में	रु. 5,00000	रु. 7,00000
बी	20 से 50 प्रतिशत के मामले में	रु. 2,00000	रु. 5,00000
सी	20 प्रतिशत से कम के मामले में	रु. 1,00000	रु. 2,00000
14	तेजाब हमले का पीड़ित		
ए	चेहरा खराब होने पर	रु. 3,00000	रु. 7,00000
बी	50 प्रतिशत से अधिक चोट के मामले में	रु. 5,00000	रु. 7,00000
सी	50 प्रतिशत से कम चोट के मामले में	रु. 300000	रु. 5,00000

नोट :– यदि पीड़ित 18 वर्ष की आयु से कम है तो क्षतिपूर्ति राशि उपर वर्णित राशि से 50 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ायी जा सकती है।

फार्म –1

अन्तरिम/अंतिम राहत के लिए दिल्ली पीड़ित क्षतिपर्ति स्कीम, 2015 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

1	पीड़ित आवेदक या उसके/उनके आश्रितों के नाम	
2	पीड़ित आवेदक या उसके/उनके आश्रितों की आयु	
3	(1) पिता का नाम (2) माता का नाम (3) पति/पत्नी का नाम	
4	पीड़ित या उसके/उनके आश्रितों का पता	
5	घटना की तिथि व समय	
6	क्या प्रथम सूचना सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है? यदि हां तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें यदि नहीं स्थिति बताएं	
7	क्या चिकित्सां परीक्षण किया गया है यदि हां तो चिकित्सा रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/पोस्ट मार्डम रिपोर्ट संलग्न करें।	
8	मुकदमें की स्थिति, यदि लंबित है। यदि समाप्त हो गया है तो दंडादेश पर निर्णय तथा आदेश की प्रति संलग्न करें।	
9	आवेदक को न्यायालय या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है, यदि हां विवरण दें।	
10	वित्तीय व्यय /हुई हानि का विवरण दें।	
11	क्या आपने अपराधकर्त्ता के विरूद्ध कोई सिविल मुकदमा/दावा किया है यदि हां विवरण दें।	

पीड़ित/आश्रित के हस्ताक्षर

फार्म –2

शपथ–पत्र

दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम 2015 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वितरण से पूर्व पीड़ित या उनके आश्रितों द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण/ जिला विधिक सेवा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें।

(जो लागू न हो उसे काट दे)

मैं/हम–––––––––––––––––– (पीड़ित या उनके आश्रितों के नाम) सुपुत्र, सुपुत्री श्री ––––––––––––––––– निवासी –––––––––––––––– एतद्द्वारा शपथ लेता हूँ/लेते हैं कि मैंने संपूर्ण दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम 2015 को पढ लिया है और पूर्णतयाः समझ लिया है एवं मैंने इस शपथ पत्र को भरा है।

मैं शपथ लेता हूं कि बाद में निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता 357 की धारा के अधीन क्षतिपूर्ति अवार्ड का निर्णय पारित करते समय मुझे जो क्षतिपूर्ति अवार्ड प्रदान किया है उसे मैं तुरंत दिल्ली राज्य विधिक सेवा अधिकरण/जिला विधिक सेवा अधिकरण को सूचित कर दूंगा।

मैं शपथ लेता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 357 की धारा के अधीन यह अवार्ड मुझे अपराधी प्रदान करता है तो मैं इस अधिकरण से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि लौटा दूंगा।

मैं यह भी शपथ लेता हूं कि निचली अदालत के आदेश के अन्तर्गत अपराधी मुझे जिस राशि से क्षतिपूर्ति प्रदान करता है, वह राशि इस स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की गई क्षतिपूर्ति से कम है तो मैं अधिकरण से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि का हिस्सा वापिस लौटा दूंगा।

मुझे ज्ञात है कि किसी हानि या चोट या पुनर्वास के लिए पहला जुर्माना/मुझे क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कर्त्तव्य अपराधी का होता है तथा अपराधी से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के पश्चात् हमें किस अधिकरण से इस स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि को लौटाना होता है।

मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि यदि जो राशि मेरे द्वारा भविष्य में लौटाई जानी है इस स्कीम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि के वितरण के समय अधिकरण द्वारा खौले गए खाते /खोली गयी एफडीआर से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

मेरे द्वारा आवेदन फार्म में दी गयी सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

दिनांक　　　　**आवेदक /पीड़ित/आश्रित के हस्ताक्षर**

प्रस्तावना

29 नवम्बर, 1985 को **96वें** प्रारभिक सत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा मे अपराध के पीड़ित तथा अधिकारों के दुरूपयोग हेतु न्याय के मौलिक सिद्धांतों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंगीकार किया गया । इस घोषणा पत्र से नए युग की शुरूआत हुई जिसमें अपराध के पीड़ितों के संक्षरण हेतु अन्तरराष्ट्रीय कानून में न्यूनतम मानदण्डों और सुनिश्चित नियमों की आवश्यकता पर बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में अपराध के पीड़ितों के चार महत्वपूर्ण तत्वों को मान्यता दी गई––

1. न्याय की प्राप्ति तथा निष्पक्ष कार्यवाही
2. पुनः प्रतिस्थापन
3. क्षतिपूर्ति
4. सहायता

इस घोषणा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के रूप में जोड़ कर क्रियान्वित किया गया। दिल्ली राज्य अग्रणी राज्यों में से एक है जिसने अपराध के पीड़ितों को राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने की विशेष स्कीम तैयार की है।

अपराध से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति भारी शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक पीड़ा से तथा साथ ही आर्थिक हानि से गुजरता है। राज्य समस्त आधारभूत संवैधानिक अधिकारियों का संरक्षक होने के नाते न केवल पीड़ितों को कानूनी अपितु नैतिक और सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है और साथ ही उनके भावनात्मक और वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करता है।

अपराध के स्वरूप और उसकी व्यापकता को समाज में व्याप्त सामाजिक और अत्यधिक वित्तीय विषमताओं के संदर्भ में देखना होगा। प्रतयेक पीड़ित के अधिकारों तथा पुनर्वास आवश्यकताओं का गहन आकलन, पहचान और उपचारात्मक उपाय करने अपेक्षित होंगे। उन्हें हमारे विशेष सहानुभूति और सहायता की आवश्यकता है।

पिछले तीन वर्षों से दिल्ली पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2011 लागू हो चुकी है परन्तु इस पर अपेक्षित प्रयास, व्यापकता और उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकी। समस्त परिस्थितियों पर गहनता से विचार करने से स्पष्ट होता है कि इसको प्रयोगात्मक दृष्टि से न केवल सरल बनाया जाए अपितु इसमें दिए गए क्षतिपूर्ति की राशि में संशोधन करके इसको बढ़ाकर आर्थिक लाभों को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

इसमें अपराध के पीड़ित को उसकी अत्यधिक कठिन आवश्यकता के समय तत्काल अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के पक्ष की भी पुनः समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi the 23rd December, 2016

F. No. 11/35/2010/HP-II/9544-57.— In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi in coordination with the Central Government hereby approves the following Scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victims or their dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely:—

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT** — (1) This Scheme may be called the Delhi Victims Compensation Scheme, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

(3) It shall apply to the victims and their dependent(s) who have suffered loss, injury, as the case may be, as a result of the offence committed and who require rehabilitation.

2. **DEFINITIONS** —(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires:—

(a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

(b) "Dependent" includes wife, husband, father, mother, grandparents, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of report of Sub-Divisional Magistrate of the concerned area/Station House Officer/Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry.

(c) "District Legal Services Authority" means the District Legal Services Authority (DLSA) constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987) for a District of the National Capital Territory of Delhi;

(d) "Form" means a form appended to this Scheme;

(e) "Fund" means the Victims Compensation Fund constituted under clause 3 of this Scheme;

(f) "Government" means "Lt. Governor of National Capital Territory";

(g) "Offence" means any of the offences mentioned in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) or in any other law for the time being in force;

(h) "Penal Code" means Indian Penal Code,1860 (45 of 1860);

(i) "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme;

(j) "State Legal Services Authority" means the Delhi State Legal Services Authority (DSLSA), as defined in the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987)

(k) "Victim" means a person who has suffered loss or injury as a result of the offence and in the case of his death, the expression 'victim' shall mean to include his or her guardian or legal heir;

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure,1973 and the Indian Penal Code,1860.

3. **VICTIMS COMPENSATION FUND** — (1) There shall be a Fund, namely, the Victims Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, shall be paid to the victims or their dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

(2) The 'Victims Compensation Fund' shall comprise the following:-

(a) Budgetary allocation *in the shape of Grants-in-aid to DSLSA* for which necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government;

(b) Receipt of amount of fines imposed (under section 357 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and ordered to be deposited by the courts in the Victims Compensation Fund.

(c) Amount of compensation recovered from the wrongdoer/accused under clause 14 of the Scheme;

(d) Amount of compensation returned by the person receiving the compensation as per Form 'II' if any;

(e) Donations/contributions from International/National/Philanthropist/Charitable Institutions/ Organizations and individuals.

(3) The said Fund shall be operated by the Delhi State Legal Services Authority (DSLSA)

4. **ELIGIBILITY FOR COMPENSATION** — The victim or his/her dependent(s), as the case may be, shall be eligible for the grant of compensation after satisfying the criteria that he/she should not have been compensated for the loss or injury under any other scheme of the Central Government or the Government:

Provided that an affidavit of victim or his/her dependent(s), as the case may be, shall be sufficient unless the State or District Legal Services Authority, as the case may be, directs otherwise for the reasons to be recorded.

5. **PROCEDURE FOR MAKING APPLICATION BEFORE THE STATE OR DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY** — An application for the award of interim/ final compensation can be filed by the Victims and/or their Dependents or the SHO of the area and it shall be submitted in Form 'I' along with a copy of the First Information Report (FIR), medical report, death certificate, if available, copy of judgment/ recommendation of court if the trial is over, to the State or District Legal Services Authority.

6. **PLACE OF FILING OF APPLICATION** -- The application/recommendation for compensation can be moved either before the Delhi State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority. The Secretary of the respective DLSA shall decide the application/ recommendation moved before him/her as per Scheme. The DSLSA in turn can retain, enquire and decide the matters itself or may call for any application/recommendation moved before any of the District Legal Services Authorities for disposal.

7. **RELIEFS THAT MAY BE AWARDED BY THE STATE OR DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITY**—The State or District Legal Services Authority may award compensation to the victims or their dependents to the extent as specified in schedule hereto.

8. **FACTORS TO BE CONSIDERED WHILE AWARDING COMPENSATION -** While deciding a matter, the Delhi State Legal Services Authority/District Legal Services Authority may take into consideration following factors relating to the loss or injury suffered by the victim:

(1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim;

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and/or mental health of the victim, funeral, travelling during investigation/ inquiry/ trial(other than diet money);

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school/college due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(4) Loss of employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental

trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(5) The relationship of the victim to the offender, if any;

(6) Whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time;

(7) Whether victim became pregnant as a result of the offence;

(8) Whether the victim contracted a sexually transmitted disease (STD) as a result of the offence;

(9) Whether the victim contracted human immunodeficiency virus (HIV) as a result of the offence;

(10) Any disability suffered by the victim as a result of the offence;

(11) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine his/her need for rehabilitation.

(12) In case of death, the age of deceased, his monthly income, number of dependents, life expectancy, future promotional/growth prospects etc.

(13) Or any other factor which the DSLSA/DLSA may consider just and sufficient.

9. GROUNDS FOR DECLINING THE COMPENSATION — The State or District Legal Services Authority, as the case may be, may decline the compensation giving adequate reasons reduced in writing.

10.PROCEDURE FOR GRANT OF COMPENSATION — (1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) and/or (3) of section 357A of the Code, or an application is made by any victim or their dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, to the Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, it shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss/injury and rehabilitation as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for consideration of the claim from the concerned:

Provided that in exceptional cases of utmost hardship and gravity and in all acid attack cases, at any time after commission of the offence, the Member Secretary/Officer on Special Duty of DSLSA or Secretary, DLSA may suo motu or on an application by the victims/dependents may after preliminary verification of the facts proceed to grant such relief (including interim monetary compensation) as may be required in the circumstances of each case.

(2) The inquiry as contemplated under sub-section(5) of section 357A of the Code, shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim/petition or recommendation, :

* Provided that in cases of acid attack an amount of Rs. One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DSLSA/ DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the DSLSA/DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the DSLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of order. Thereafter, an amount of Rs. 2 lakhs shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment:

Provided further that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme.

(3) After consideration of the matter, the DSLSA or DLSA, as the case may be, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his/her dependent(s) taking into account the factors enumerated in Clause 8 of the Scheme.

---

* *(In terms of Order of Hon'ble Supreme Court in W.P.(Crl.) No. 129/2006, titled Laxmi v. Union of India & ors. Dt. 18.07.2013)*

(4) The award of compensation under this Scheme shall be subject to the condition that if later on the trial court while passing the Judgment orders the accused person to be pay any amount by way of compensation under section 357 of the Code, the victim shall refund the amount of compensation awarded under this Scheme, or the amount of compensation received in pursuance of the order passed under section 357 of the Code, whichever is less. An Undertaking in Form "II" hereto shall be obtained by the Disbursing Authority from the victim before the disbursal of the compensation amount under this Scheme.

(5) The cases covered under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act 59 of 1988) wherein the compensation is to be awarded by the Motor Accidents Claims Tribunal, shall not be covered under this Scheme.

(6) The DSLSA/DLSA may call from any record or take assistance from any Authority/Establishment/ Individual/Police/Court concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(7) In case after the disbursement of compensation, at any stage it comes to the notice of DSLSA/DLSA that any relevant fact shared with it during the inquiry for compensation was false, the Authority can initiate proceedings for recovery of part/full compensation awarded after affording an opportunity of being heard to the beneficiary.

11. **<u>THE ORDER TO BE PLACED ON RECORD</u>** — Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the trial Court so as to enable the trial Court to pass an appropriate order of compensation under section 357 of the Code.

12. **<u>METHOD OF DISBURSEMENT OF COMPENSATION</u>** — (1) The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the DSLSA by depositing the same in a Nationalized Bank or if the branch of a Nationalized Bank is not in existence, it shall be deposited in the branch of a scheduled commercial bank, in the joint or single name of the victim/dependent(s). Out of the amount so deposited, 75% (seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25% (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80% of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit:

Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent needs of the beneficiary at the discretion of the DSLSA/ DLSA.

(3) The interest on the sum, if lying in FDR form, shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary.

13. **<u>INTERIM RELIEF TO THE VICTIM</u>** — The Delhi State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief (including interim monetary compensation) as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/ dependents or suo moto:

Provided that the, interim relief so granted shall not be more than Rs. 50,000/-(Rupees Fifty thousand) in any case except in cases of extreme hardship and gravity of the offence where an order may be passed for the reasons to be recorded in writing:

* Provided further that in cases of acid attack a sum of Rs. One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DSLSA/DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the DSLSA/DLSA within 7 days of the matter being brought its notice and the DSLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of order. Thereafter an additional sum of Rs.2 lakhs shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months.

14. **<u>RECOVERY OF COMPENSATION AWARDED TO THE VICTIM OR HIS/HER DEPENDENT(S)</u>** — Subject to the provisions of sub-section(3) of section 357A of the Code, the Delhi State Legal Services Authority, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or his/ her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/her.

15. DEPENDENCY CERTIFICATE — The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and, in no case, this period shall be extended:

Provided that the DSLSA/DLSA, in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of 15 days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.

16. LIMITATION - Under the Scheme, no claim made by the victim or his/her dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, shall be entertained after a period of 3 years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial.

17. REPEAL & SAVINGS –(1)The Delhi Victims Compensation Scheme, 2011 is hereby repealed.

(2) Nothing in this Scheme shall prevent Victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same.

SCHEDULE

S.No.	*Particulars of loss or injury*	*Minimum Limit of compensation*	*Upper Limit of compensation*
1.	Loss of Life	Rs. 3 Lakhs	Rs. 10 Lakhs
2.	Gang Rape	Rs. 3 Lakhs	Rs. 7 Lakhs
3.	Rape	Rs. 3 Lakhs	Rs. 5 Lakhs
4.	Unnatural Sexual Assault	Rs. 2 Lakhs	Rs. 5 Lakhs
5.	Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above	Rs. 2 Lakhs	Rs. 5 Lakhs
6.	Loss of any Limb or part of body resulting in 40% and below 80% permanent disability	Rs. 1 Lakh	Rs. 3 Lakhs
7.	Loss of any limb or part of body resulting in above 20% and below 40% permanent disability	Rs. 50,000/-	Rs.2 Lakhs
8.	Loss of any limb or part of body resulting in below 20% permanent disability	Rs. 20,000	Rs. 1 Lakh
9.	Rehabilitation of Victims of human trafficking/kidnapping	Rs. 1 Lakh	Rs. 3 Lakhs
10.	Physical abuse of minor	Rs. 2 Lakhs	Rs. 5 Lakhs
11.	Grievous injury including injury resulting in surgery/serious damage to vital organs	Rs. 50,000	Rs. 2 Lakhs
12.	Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss of fertility	Rs. 2 Lakhs	Rs. 3 Lakhs
13.	Victims of Burning, in case of disfigurement-		
a.	In case of more than 50%	Rs. 5 Lakhs	Rs. 7 Lakhs
b.	In case of 20% to 50%	Rs. 2 Lakhs	Rs. 5 Lakhs
c.	In case of less than 20%	Rs. 1 Lakh	Rs. 2 Lakhs
14.	Victims of Acid Attack-		
a.	In case of disfigurement of face.	Rs. 3 Lakhs	Rs. 7 Lakhs
b.	In case of injury more than 50%.	Rs. 5 Lakhs	Rs. 7 Lakhs
c.	In case of injury less than 50%.	Rs. 3 Lakhs	Rs. 5 Lakhs

Note: In case the victim is less than 18 years of age, the compensation amount may be increased by up to 50% more than specified above.

FORM –I

APPLICATION FOR THE AWARD OF COMPENSATION UNDER DELHI VICTIMS COMPENSATION SCHEME, 2015 FOR INTERIM/FINAL RELIEF

1.	Name of the Applicant Victim(s) or his/her/their Dependent(s)	
2.	Age of the of the Victim(s) or his/her/their Dependent(s)	
3.	(a) Father's Name	
	(b) Mother's Name	

	(c) Spouse's Name	
4.	Address of the Victim(s) or his/her/their Dependent(s)	
5.	Date and time of the Incident	
6.	Whether FIR has been lodged? If Yes, enclose Copy of FIR. If No, give status thereof.	
7.	Whether medical examination has been done? If yes, enclose Medical Report/ Death Certificate /P.M. Report.	
8.	Status of trial, if pending. If over, enclose copy of judgment and order on sentence.	
9.	Has the applicant been awarded any compensation by the trial court or any other Govt. agency. If, yes give details.	
10.	Give details of financial expenditure/ loss incurred	
11.	Have you instituted any civil suit/ claim against the perpetrator of offence. If yes give details.	

Signature of the Victim/Dependent.

<u>FORM -II</u>

UNDERTAKING

To be submitted before the disbursal of the compensation under Delhi Victims Compensation Scheme, 2015 Before DSLSA/DLSA by the Victims or their Dependents)

(Strike out whichever is not applicable)

I/We …………………………………………………….................………. (Name of the Victim or their Dependents) S/o, D/o, W/o ……….................…………..…………………………………. R/o ……………….…………………………………….. hereby undertake that I/We have read all the entire Delhi Victims Compensation Scheme, 2015 and after fully understanding the same, I/We have filled in this Undertaking form.

I/We fully undertake that, if at a later stage, the Trial Court while passing the judgment awards compensation to me/us under Section 357 Cr.P.C. I shall inform the same DSLSA/DLSA promptly.

I/We undertake that in case the Compensation awarded to me/us U/s 357 Cr.P.C. is paid by the convict to me/us, I/We shall refund the compensation received by me/us from this Authority.

I/We also undertake that in case under the order of Trial Court, Convict compensates me/us by paying amount which is less than compensation provided to me/us under this Scheme then I/We shall refund that portion of the compensation received by me/us from this Authority.

I/We am/are aware that the first charge/duty to compensate me/us for loss or injury or rehabilitation is that on the convict and upon receipt of compensation from the convict I/We am/are supposed to refund the compensation received from this Authority under the Scheme.

I/We shall have no objection in case the amount supposed to be refunded by me/us in future is obtained by this Authority directly from the my/our Bank Account/FDR opened/prepared at the time of disbursal of compensation under the Scheme.

The information given by me/us in my/our application form is true to the best of my/our knowledge and belief.

Dated :________________ Signature of the Applicant/Victim/Dependent

PREFACE

On 29 November, 1985 at its 96th plenary session, The General Assembly of the United Nations, adopted The UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. This brought the dawn of a new era by emphasising the need to set norms and minimum standards in International law for the protection of victims of crime. The U.N. Declaration recognised four major components of the rights of victims of crime –

1. Access to justice and fair treatment;
2. Restitution;
3. Compensation;
4. Assistance.

The Declaration was implemented by introducing Sec. 357-A in the Code of Criminal Procedure. State of Delhi was amongst the frontrunners who came up with specific Scheme for compensation of Victims of Crime by State.

Every Victim of Crime undergoes immense physical, emotional and mental trauma apart from economic losses. State as a custodian of all Fundamental Constitutional Rights is not only legally but also morally & socially bound to come to the rescue of Victims and provide them all help and succour so that they can overcome their trauma, both emotionally as well as financially.

The nature and extent of victimization has to be adequately understood considering the social and stark financial disparity amongst our Citizens. The rights and rehabitational needs of each victim has to be minutely gauged, recognized and redressed. They deserve our attention and help.

Despite being in place for the last three years (approx.), **The Delhi Victims Compensation Scheme, 2011**, could not achieve the expected attention, popularity and objective. A close look at all the relevant circumstances reveals that it needs to be not only simplified in its application but its monetary benefits too needs to be enhanced by revising the quantum of compensation it offers.

It also needs to be reframed on the aspect of granting immediate interim financial assistance to the victims of crime in their hour of dire need.

By Order and in the Name of the Lt. Govervor
of the National Captial Territory of Delhi,

O. P. MISHRA Addl. Secy. (Home)

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.01.05 18:08:59 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.